न्यायालय : अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या तीन, अजमेर
पीठासीन अधिकारी : जगदीश जाणी , आर जे एस
(जिला जज केडर)
फौजदारी विविध संख्या – 73/19
सेशन प्रकरण संख्या 03/19
प्रथम सूचना सं 80/19 थाना किशचयनगंज ,अजमेर
सी आई एस नं 45/19

राजस्थान राज्य बनाम सोनू उर्फ जीथरा वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 451,457 दं प्र सं वास्ते सुपुर्दगी पर मोटरसाईकिल दिलवाने वाबत।

उपस्थित :
1. श्री अशोक गुर्जर अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से ।
3. श्री शीनू आचार्य अधिवक्ता प्रार्थी विनोद की ओर से ।

: : आ दे श : : **दिनांक : 19.08.2019**

1. प्रकरण में प्रार्थी विनोद कुमार पुत्र रामप्रसाद जाति बागरी की ओर से जब्त शुदा मोटरसाईकिल नं आर जे 01 एन एस 1970 को सुपुर्दगी पर लेने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया ।

2– सुना गया । प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने अभिलिखित किया है कि जब्त शुदा वाहन मोटरसाईकिल आर जे 01 एन एस 1970 का वह पंजीकृत स्वामी है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है एवं आरोपपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। पुलिस को वाहन की आवश्कता नहीं है , वाहन के थाने में देख रेख के अभाव में क्षतिग्रस्त होने की संभावना है अतः वाहन को सुपुर्दगी पर छोडा जावे।

3– बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर बल देते हुए वाहन सुपुर्दगी पर छोडने का निवेदन किया । इसका अपर लोक अभियोजक ने विरोध किया ।

4– पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थी की ओर से जब्त शुदा वाहन का मूल पंजीयन प्रमाणपत्र तथा आधार कार्ड प्रस्तुत किये जिनकी फोटो प्रति पत्रावली पर रखी गई। जब्त शुदा वाहन का प्रार्थी पंजीकृत स्वामी है।पुलिस द्वारा जब्त मोटर साईकिल के इंजन नंबर जे ए06ईटीजेजीई10408 व चेचिस नम्बर एमबीएलजेएआर154 जेजी ई 08027 अंकित किये है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है एवं आरोपपत्र प्रस्तुत होकर इस न्यायालय में कमिट हो चुका है। विचारण में समय लगेगा , वाहन का थाने में पडे रहने से क्षति ग्रस्त होने की संभावना है अतः वाहन को सुपुर्दगी पर छोडा जाना न्यायोचित है।

::आदेश::

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी 55,000/– रूपये का सुपुर्दगीनामा व इसी राशि का जमानत नामा निम्न शर्तो का प्रस्तुत कर अनुप्रमाणित करवा दे तो वाहन मोटरसाईकिल नं आर जे 01 एन एस 1970 को सुपुर्दगी पर दे दिया जावे।

1– वाहन के रंग रोगन में प्रार्थी परिवर्तन नहीं करेगा।
2– वाहन को प्रार्थी आगे अन्तरित व हस्तान्तरित नहीं करेगा।
3– न्यायालय जब भी वाहन को तलब करेगा न्यायालय में प्रस्तुत कर देगा।

(जगदीश जाणी)
अपर जिला न्यायाधीश संख्या तीन,
अजमेर (राज0)

आदेश आज दिनांक 19.08.2019 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर मुद्रांकित किया जाकर सुनाया गया।

(जगदीश जाणी)
अपर जिला न्यायाधीश संख्या तीन,
अजमेर (राज0)